कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.

क्रमांक / 2622 / तकनीकी / 2006 भोपाल, दिनांक 01 दिसम्बर 2006.

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,

मध्यप्रदेश.

विषय :– दिनांक 1.2.2006 से पंजीबद्ध मुख्तारनामों के संबंध में ।

---0---

स्टाम्प अधिनियम में मध्यप्रदेश के स्थानीय संशोधन क्रमांक 5 सन् 2006 द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए बगैर प्रतिफल के निष्पादित किये गये मुख्तारनामों पर 100 रू. स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया गया था । दिनांक 1.2.2006 से प्रभावी इस संशोधन का लाभ लेते हुए प्रदेश भर में बड़ी संख्या में मुख्तारनामों का पंजीयन हुआ है ।

इस अनुक्रम में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मध्यप्रदेश स्थित अचल सम्पत्ति के विक्रय के अधिकार से संबंधित ऐसे मुख्तारनामे एक वर्ष की अवधि तक ही प्रभावशील रहेंगे । अतः दिनांक 1.2.2006 से पंजीबद्ध हुए तथा एक वर्ष की अवधि के लिए तात्पर्यित ऐसे मुख्तारनामों के निष्पादकों को कृपया पत्र लिखकर सूचित करें कि उनके द्वारा पंजीबद्ध कराये गये मुख्तारनामे के आधार पर मुख्तार द्वारा विक्रय विलेख का पंजीयन उसकी निष्पादन तिथि से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं हो सकेगा । आपके द्वारा की गई कार्यवाही से एक सप्ताह में अवगत कराएं ।

हस्ता / –
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.